

प्रेषक,

डॉ० पंकज कुमार पाण्डेय,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. श्रमायुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल।
3. निदेशक, उद्योग विभाग, दहरादून, उत्तराखण्ड।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

देहरादून: दिनांक 18 मार्च, 2020

विषय:-निजी कार्यालयों/व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं औद्योगिक संस्थानों/ कार्य स्थलों में कोरोना वायरस (COVID-19) की रोकथाम के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आप विदित हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण एक अन्तर्राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में परिलक्षित हो रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इसे Pandemic के रूप में अधिसूचित किया है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निरंतर कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है एवं समीक्षा की जा रही है, परन्तु वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत इस संक्रमण के पूर्ण नियंत्रण हेतु निरंतर कार्यवाही/ अनुश्रवण करते रहना अति आवश्यक है। इसी क्रम में अवगत कराना है कि विश्व भर के विशेषज्ञों ने कोरोना वायरस संक्रमण के फैलने से रोकने के लिए भीड़-भाड़ या किसी भी जमावड़े को टालने या संभव हो सके तो स्थगित करने की सलाह दी है।

2- अतः उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य के निजी कार्यालयों/व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं औद्योगिक संस्थानों/कार्य स्थलों में कोरोना वायरस (COVID-19) की रोकथाम के लिए निम्न कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए:-

1. जहाँ तक संभव हो कार्मिकों से घर से ही काम कराने की प्राथमिकता दी जाए।
2. कार्मिकों से शिफ्ट में काम करवाया जाए तथा प्रत्येक शिफ्ट में आवश्यकतानुसार एवं कम से कम श्रमिकों/कार्मिकों को ही बुलाया जाए।
3. यह सुनिश्चित करें कि कार्य स्थल साफ और स्वच्छ रहे।
4. कार्य स्थलों में बैठकों या समारोह इत्यादि का आयोजन स्थगित करें। संभव हो सके तो बैठकों के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग का उपयोग किया जाए।
5. खांसी, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ के लक्षण वाले कर्मचारियों को कार्य स्थल पर न आने दें। उसे अवकाश स्वीकृत किया जाए।
6. कार्य स्थल में कर्मचारी अभिवादन/शिष्टाचार में हाथ न मिलायें व अन्य गैर सम्पर्क तरीकों का उपयोग किया जाए।
7. कार्य स्थलों के सभी वॉशरूम में साबुन, हैंड वॉश और सैनेटाइजर रखवाना सुनिश्चित किया जाए तथा हाथों को अच्छी तरह धोया जाए।
8. खांसते अथवा छींकते समय अपने मुँह एवं नाक को रूमाल से ढकें।

9. यदि किसी व्यक्ति में खांसी, जुकाम, बुखार के लक्षण हों तो उससे दूरी बनाते हुए सावधानी बरतें।
10. बाहर से आने पर एवं नाक, आँख अथवा मुँह को छूने के बाद अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन एवं पानी से अच्छी तरह धोयें।
11. अधिक मात्रा में तरल पदार्थ एवं पौष्टिक आहार का सेवन करें।
12. खुले एवं असुरक्षित खाद्य पदार्थों का सेवन बिल्कुल न किया जाए।
13. बिना चिकित्सकीय परामर्श के दवाई न ली जाए।

अधिक जानकारी हेतु स्वास्थ्य विभाग की हैल्पलाइन 104 पर सम्पर्क किया जा सकता है। बुखार, जुकाम, खांसी या सांस लेने में दिक्कत जैसे लक्षण उत्पन्न होने पर नजदीकी चिकित्सालय में सम्पर्क करें।

उपरोक्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए।


भवदीय,

(डॉ० पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव (प्रभारी)

संख्या- 120 / पीएस/सप्र/2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में अवलोकनार्थ सादर प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, श्रम विभाग, उत्तराखण्ड शासन।


(डॉ० पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव(प्रभारी)